न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भगवत सिंह देवल

रेफरेन्स संख्या 33/14 तारीख रजू– 18/12/14

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा । ---- प्रार्थी

बनाम

1– बली अहमद पुत्र श्री रहमान खॉ जाति मुसलमान निवासी चौथ का बरवाड़ा
2– यासीन मो0 पुत्र श्री रहमान खॉ जाति मुसलमान निवासी चौथ का बरवाड़ा
3– बाबू अली पुत्र श्री रहमान खॉ जाति मुसलमान निवासी चौथ का बरवाड़ा

---- अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक–30/01/2017

प्रार्थी द्वारा यह रेफरेन्स राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। ग्राम चौथ का बरवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2017–2020 के खाता संख्या 560 खसरा नं0 1484 रकबा 10 बीधा 15 बिस्वा मन्दिर श्री राजेश्वर महादेव बहतयाम पुजारी नारायण पुत्र जयनारायण कौम ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि रिज्यूम होने से बिना नामान्तकरण खोले ही जमाबन्दी ग्राम चौथ का बरवाड़ा सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 385 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा का अंकन माफी मन्दिर श्री राजेश्वर महादेव का नाम हटाकर रहमान पुत्र बजीर खॉ के नाम अंकित हो गया है। उक्त वाद आराजीयात खं0नं0 1484 का मिलान क्षेत्रफल से नवीन खसरा नम्बर 4631 अंकित हो गया है। जमाबन्दी ग्राम चौथ का बरवाड़ा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 521 आराजी खं0नं0 4631 बली अहमद , यासीन मो0, बाबूअली के नाम जरिये वारिसान विरासत से अंकित हो गई है। उक्त वाद आराजीयात बिना किसी आदेश/आवंटन से माफी मन्दिर के स्थान पर अप्रार्थीगण व उनके वारिसान के नाम दर्ज होने से यह रेफरेन्स प्रस्तुत करते हुए उक्त वाद आराजीयात पुनः माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु बोर्ड मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने हेतु निवेदन किया है।

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अभिभाषक उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई है।

विद्वान वकील प्रार्थी (पेरोकार सरकार) ने रेफरेन्स मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि ग्राम चौथ का बरवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2017–2020 के खाता संख्या 560 खसरा नं0 1484 रकबा 10 बीधा 15 बिस्वा मन्दिर श्री राजेश्वर महादेव बहतयाम पुजारी नारायण पुत्र जयनारायण के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि रिज्यूम होने से बिना नामान्तकरण खोले ही जमाबन्दी ग्राम चौथ का बरवाड़ा सम्वत् 2021–24 खाता संख्या 385 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा का अंकन माफी मन्दिर श्री राजेश्वर महादेव का नाम हटाकर रहमान पुत्र बजीर खॉ के नाम अंकित हो गया है। उक्त वाद आराजीयात खं0नं0 1484 का मिलान क्षेत्रफल से नवीन खसरा नम्बर 4631 अंकित हो गया है। जमाबन्दी ग्राम चौथ का बरवाड़ा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 521 आराजी खं0नं0 4631 बली अहमद , यासीन मो0, बाबूअली के नाम जरिये वारिसान विरासत से अंकित हो गई है। उक्त वाद आराजीयात बिना किसी आदेश/आवंटन के ही सम्वत् 2021–24 की जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के पिता रहमान पुत्र बजीर खॉ ने नाम अंकित हो गई है। जो नियम विरूद्ध होने के कारण सम्वत् 2010–24 व इसके पश्चात् की राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज खारीज करते हुए उक्त वाद आराजीयात पुनः माफी मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु बोर्ड मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने का श्रम करे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस यह दिया कि प्रार्थी ने बिना किसी राजस्व रिकोर्ड की जांच किए बिना तथा तथ्यों की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P/A

जानकारी किए बिना ही उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त वाद आराजीयात की खातेदारी के सम्बन्ध में नियमित वाद संख्या 90/02 न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) स0मा0 में चला था। जिसका निर्णय दिनांक 04/09/04 को पारित हो चुका है। जिसमें अप्रार्थीगण को वाद आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। राजस्थान सरकार ने इनको माफी भूमि दी थीं। जागीदार ने भूमि काश्त नहीं की है। सम्वत् 2010 में उक्त वाद आराजीयात भूमि रहमान ने काश्त की है। सम्वत् 2012 से ताजू खॉ ने उक्त वाद आराजीयात काश्त की है। सम्वत् 2030–34 में पुनः गिरदावरी हुई जिसमें उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थीगण वारिसान के नाम दर्ज हुई । यह भूमि राज्यादेश से प्राप्त हुई एवं आरआरडी 2011 गोकुलराम वगै0 बनाम राजस्व मण्डल वगै0 पेज 254 के अनुसार राज्यादेश से प्राप्त हुई भूमि पर रेफरेन्स लागू नहीं होता है एवं आरआरडी 2012 राजस्थान राज्य वगै0 बनाम नारायण सिंह वगै0 पेज 223 के अनुसार दो पार्टियों के मध्य विवाद भूमि पर भी रेफरेन्स लागू नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पर खारिज फरमाया जावे, साथ ही वकील अप्रार्थी ने आरआरडी 2011 गोकुलराम वगै0 बनाम राजस्व मण्डल वगै0 पेज 254 एवं आरआरडी 2012 राजस्थान राज्य वगै0 बनाम नारायण सिंह वगै0 पेज 223 नजीरे पेश की है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनने करने तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त वाद आराजीयात सम्वत् 2010 में रहमान ने काश्त की है। सम्वत् 2012 से ताजू खॉ ने उक्त वाद आराजीयात काश्त की है। सम्वत् 2030–34 में पुनः गिरदावरी हुई जिसमें उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थीगण वारिसान के नाम दर्ज हुई । राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 24/05/2007 में स्पष्ट अंकित है कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार,पट्टेद्वार अथवा खादिमदार आदि के नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिती में उक्त रेफरेन्स चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है, साथ ही वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे आरआरडी 2011 गोकुलराम वगै0 बनाम राजस्व मण्डल वगै0 पेज 254 एवं आरआरडी 2012 राजस्थान राज्य वगै0 बनाम नारायण सिंह वगै0 पेज 223 से मैं सहमत हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र उनवान सरकार बनाम बली अहमद वगै0 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/01/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर